

Registration no: (20310282022112124112) Date: (28-05-2024) Valid till: (28-5-2027)



सेवा में

जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय | WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, विहार सरकार, पटना
प्रमाण पत्र



Letter No - SSA/RTE/1982

Date - 21/06/2024

अध्यक्ष / व्यवस्थापक / प्रबंधक

NOTRE DAME PUBLIC SCHOOL

BEL BAGH

विषय :- बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम (Right to Education -RTE), 2009 की धारा 18 के प्रयोजनार्थ बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली के नियम 11 के उपनियम के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्तीकृति का प्रमाण पत्र।

महाशय,

आपके आपेदन पत्र दिनांक. 02-11-2022 और उसके क्रम में आपसे किये गये पत्राचार एवं विद्यालय के किये गए निरीक्षण एवं जिला स्तरीय त्रिसदस्तीय समिति के बैठक दिनांक : 28-05-2024 में किये गए निर्णय के आलोक में आपके विद्यालय NOTRE DAME PUBLIC SCHOOL, BEL BAGH, BELBAGH BETTIAH, 845438 को कक्षा 1 से 8 तक संचालन हेतु तीन वर्ष 28-05-2024 से 28-5-2027 अवधि के लिए औपचारिक प्रस्तीकृति प्रदान की जाती है।

प्रदत्त प्रस्तीकृति निम्न शर्तों के अनुपालन के अधीन होगी।

1. प्रस्तीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नहीं होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 तथा विहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित करेगे।
3. विद्यालय अपनी कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पढ़ोस के कमज़ोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगा तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्ता तक प्रदान करेगा, परन्तु यह कि यदि विद्यालय में पूर्ण प्रारंभिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्ण प्रारंभिक कक्षा के लिए भी किया जाएगा।
4. कंडिका 3 में उच्चत बच्चों के मामांकित वच्चे को विद्यालय को बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जाएगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी / विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नहीं प्राप्त किया जाएगा तथा किसी भी वच्चा उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं किया जाएगा।
6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उप्र प्रमाण पत्र के अनुपत्त्वता नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नहीं कर सकेगा।
7. विद्यालय के द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किए जाएंगे. :

- (I) किसी भी नामांकित बच्चे को किसी भी कक्षा में रोककर नहीं रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जाएगा।
- (II) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा।
- (III) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नहीं होगी।
- (IV) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाला प्रत्येक बच्चा को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
- (V) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में दिव्यांग बच्चों का समावेशन किया जाएगा।
- (VI) शिक्षकों का नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 में उनके लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता के अनुरूप किया जाएगा।
- (VII) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।
- (VIII) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नहीं होंगे।
- 8. विद्यालय केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्ययार्थी का अनुसरण करेगा।
- 9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपत्त्व सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेगा।

अधिनियम की धारा 19 में उद्धृत मानकों एवं मानदण्डों की वरकार रखेगा। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निश्चित

(I) विद्यालय परिसर के क्षेत्रफल :- 200 dec हिस्तमिल

(II) कुल निर्वित क्षेत्र :- 200 dec हिस्तमिल

(III) छोट के मैदान के क्षेत्र :- SCIENCE LAB, COMP. LAB, LIBRARY, PARKING, PLAY GROUND, SPORTS EQUIPMENT, SMART CLASS, CCTV CAMERA, NETWORK, WATER PURIFIER, FIRE EXTINGUISHER, MEDICAL FACILITY ETC.

(IV) वर्ष कक्षों की कुल संख्या :- 44

(V) प्रधानाध्यारक-सह कार्यालय सह-भेंडार कक्ष :- 3

(VI) यात्रक तथा वालिकाओं के लिये अलग-अलग शौचालय :- Indian, Boys :- 37, Girls 23

(VII) पेयजल की कुविपा :- 3

(VIII) मध्याह्न भोजन के लिये रसोई घर :- 0

(IX) याधारहित पहुँच, [] :-

(X) शिक्षण अधिनियम सामर्थ्य खोल-कुद उपकरण/ पुस्तकालय :- BLACK BOARD, CHALK, WHITE BOARD, MARKER, SMART BOARD, GLOBE, ATLAS, MAP ETC., CARROM, CRICKET SET, BASKET BALL, VOLLEY BALL, CHESS, BADMINTON, LUDO ETC., 1 Y, 000, NewsPaper MagaZine - 200)

11. कोई भी अपर्याप्त वार्षिक विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नहीं होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाएँ अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा वीशाल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निर्वित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के लाभ गठित किसी पक्षिक दृस्त के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नहीं होगा।


15. सेवा का अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जाएगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त सेवा विवरणी रैपोर्ट दी जाएगी। प्रत्येक सेवा विवरणी की एक प्रतिवर्ष बिला शिक्षा अधीक्षक को भेजी जाएगी।

16. आपके विद्यालय को आवृत्ति प्रस्तीकृति कोड संख्या [20310282022112124112, 2022] है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का प्रशांत करने में इस कोड को अकित दर्शाएँ दें।

17. निदेशक, प्राप्तिक शिक्षा / जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समाय "माँग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाएँ, विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्तीकृति की घोषी के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्मात अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जाएगा।

18. यदि सोसाईटी के निवेदन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाए।

19. अनुत्प्रक [] के रूप में संतुष्ट अन्य शर्तें

 विद्यासभाजन
५०/-

जिला शिक्षा पदाधिकारी, WEST CHAMPARAN
शिक्षा विभाग, विहार सरकार